

बिहार सरकार
कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-43/2014-196(आवंटन)/कृ0, पटना दिनांक 22-12-2014

Fax/Mail प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक

—सह—

नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार पटना।

विषय :-

2 सेकेन्ड्री स्टैन्डर्ड तथा 6 वर्किंग स्टैन्डर्ड माप तौल प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए 613.56 लाख रुपये (2014-15-200 लाख रुपये, 2015-16-413.56 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 200 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹2,00,00,000 (दो करोड़ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-685, दिनांक-19.11.2014 द्वारा 2 सेकेन्ड्री स्टैन्डर्ड तथा 6 वर्किंग स्टैन्डर्ड माप तौल प्रयोगशाला भवनों के निर्माण के लिए 613.56 लाख रुपये (2014-15-200 लाख रुपये, 2015-16-413.56 लाख रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 200 लाख रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹2,00,00,000 (दो करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

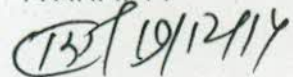
2. उपरोक्त ₹2,00,00,000 (दो करोड़ रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय- उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-051-निर्माण, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0401-वैद्यनिक माप विद्या के सुदृढीकरण, विपत्र कोड-S5475000510401-केन्द्रीय योजना, विषयशीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2014-15 में उपबंधित राशि 200.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

3 यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561, वि० (2), दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2), दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4 इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5 व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-

196(आवंटन)

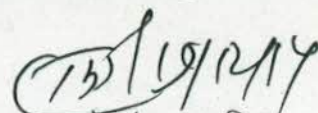
/कृ0, पटना दिनांक 22-12-2014

प्रतिलिपि :-

महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-

196(आवंटन)

/कृ0, पटना दिनांक 22-12-2014

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/योजना शाखा एवं बजट शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) एवं मुख्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी कृषि विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 निदेशक, लीगल मैट्रोलॉजी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/10/14/17)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-

196(आवंटन)

/कृ0, पटना दिनांक 22-12-2014

प्रतिलिपि :-उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

रि-14

(15/10/14/17)
सरकार के संयुक्त सचिव।